

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी—श्री ओ०पी० बिश्नोई आर०ए०एस०

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र संख्या 02/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
दोदा खां पुत्र शेरू खां जाति मुसलमान निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर 2. ग्राम पंचायत गागरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं सपठित आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थित:— 1. श्री मलार खां अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।  
2. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24.5.2017

1. प्रार्थी ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2012 को रिव्यू करने हेतु पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं सपठित आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत हमारे समक्ष पेश किया है। संक्षेप में प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि इस न्यायालय में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रार्थी दोदा खां को ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 20.8.2004 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय का पुनर्विलोकन (Review) करने हेतु प्रार्थी ने यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं सपठित आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत हमारे समक्ष पेश किया।
2. हमने पुनर्विलोकन आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी पट्टा संख्या 56 दिनांक 20.8.2004 के संबंध में ऑडिट द्वारा निकाली गई वूसली राशि रूपये 43750/- जमा करवाने हेतु तैयार है। राशि जमा कराने के आदेश जारी कराते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए करने का निवेदन किया।
4. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों,, निगरानी पत्रावली एवं ग्राम पंचायत गागरिया से प्राप्त रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी दोदा खां ने सरपचं ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गागरिया की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर आवास बनाने हेतु पट्टा जारी किया जावे। इस पर ग्राम पंचायत गागरिया ने पत्रावली कायम कर प्रार्थी को नियम 156 (1)(क) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 56 दिनांक 20.08.2004 को जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध विप्रार्थी संख्या 01 ने इस न्यायालय में निगरानी संख्या 25/2011 पेश की। जिसमें ग्राम पंचायत के रेकर्ड से जांच कर, समस्त बिन्दुओं का विवेचन करने के उपरान्त निर्णय दिनांक 27.2.2012 पारित करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 की निगरानी स्वीकार कर, ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा प्रार्थी को जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 20.8.2004 को निरस्त किया गया। प्रार्थी ने पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में रिव्यू का मुख्य आधार यह बताया है कि प्रार्थी के विरुद्ध पारित एक तरफा निर्णय की उसे पूर्व में जानकारी नहीं थी। निर्णय की दिनांक 25.4.2016 को प्रति प्राप्त होने पर निर्णय की जानकारी हुई। प्रार्थी का यह कथन कि उसे पारित निर्णय दिनांक 27.2.2012 की जानकारी पूर्व में नहीं थी, तथ्य मानने योग्य नहीं है। किसी भी निर्णय को रिव्यू किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करने की तिथि से 30 दिन के भीतर पेश किया जाना चाहिए, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 में पारित निर्णय को रिव्यू करने बाबत प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 में चार साल बाद पेश किया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं है। काननून




अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)


किसी आदेश को तभी रिव्यू किया जा सकता है, जब ऐसी आज्ञा जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी नहीं दी गई हो। जबकि वर्तमान मामले में प्रार्थी पक्ष इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.2.2012 में किसी प्रकार के तथ्य की अथवा कानूनी त्रुटि नहीं बता पाये है एवं न ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष पेश किया गया, जिसकी जानकारी वक्त निर्णय नहीं थी।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निर्णय दिनांक 27.02.2012 को पुनर्विलोकन (Review) करने के कोई सन्तोषजनक आधार उपलब्ध नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।



  
(ओपीओबिश्नोई)  
अपर कलक्टर, बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 24.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अपर कलक्टर, बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)